महत्वपूर्ण एवं खास

यास चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी, 27 मई को जिले में पहुंचने की संभावना

कलेक्टर सिंह ने राहत एवं बचाव की तैयारियों के दिये निर्देश

रायगढ़। यास चक्रवाती तूफान पूर्वोत्तर राज्यों में 26 मई 2021 को खाड़ी में टकराने की संभावना है जिसके फलस्वरूप 27 मई 2021 को तूफान के जिले में पहुंचने तथा तेज हवायें, वर्षा, बिजली चमकने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जनहानि, पशुहानि, फसल क्षति, मकान क्षति आदि क्षति होना संभावित है। कलेक्टर भीम सिंह ने तूफान के प्रभाव को देखते हुये विकास खण्ड स्तर पर राहत एवं बचाव टीम का गठन कर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिये है। जिससे चक्रवाती तूफान से होने वाली क्षति से रोका जा सके।

अवैध शराब परिवहन की दो कार्रवाई में 37 लीटर महुआ शराब जब्त

शराब परिवहन में प्रयुक्त दो प्लेटिना मोटर सायकल सहित तीन आरोपी पकड़ाए

पुसौर। थाना पुसौर इंचार्ज सहायक उपनिरीक्षक इग्खेश्र यादव के नेतृत्व में पुसौर पुलिस अवैध महुआ शराब की सूचना पर लगातार कार्यवाही कर रही है। आज दिनांक 25/05/2021 को पुसौर पुलिस द्वारा महुआ शराब के अवैध परिवहन पर दो कार्यवाहियां की गई है, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी अनुसार पुसौर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर आज सुबह करीब 8:00 बजे छिछोर उमरिया बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर छिछोर उमरिया बस्ती की ओर से बिना नम्बर प्लेटिना मोटर सायकल पर 30 लीटर क्षमता वाली जरकिन में आरोपी ताराचंद सारथी पिता तिलक राम सारथी उम्र 35 साल साकिन छिछोर उमरिया थाना पुसौर के कब्जे से 25 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। वहीं दूसरी कार्यवाही में आरोपी 1- परमेश्वर यादव पिता भगतराम यादव उम्र 19 साल 2- रामचंद पाव पिता रोहित पाव उम्र 24 साल गोहडीडिपा कोड़ातराई जुटमील थाना कोतवाली रायगढ़ से 2-2 लीटर वाली 6 बोतलों में 12 लीटर महुआ शराब जप्ति किया गया है। आरोपियों द्वारा मोटर सायकल बजाज प्लेटिना सीजी 13-जी- 7593 में पुटकापुरी की ओर से शराब लेकर कोड़ातराई जा रहे थे जिन्हें बंजारी मंदिर के पास पकड़ा गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना पुसौर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में सउनि इग्खेश्र यादव तथा प्रधान आरक्षक उमाशंकर नायक, नरेन्द्र सिदार एवं हमराह आरक्षक की सक्रियता रही है।

छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोविड जांच संबंधी दिशा-निर्देश जारी

96 घंटे के भीतर का नेगेटिव कोविड रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने पर राज्य में आगे यात्रा की होगी अनुमति

रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन किये गये हैं। जिसके तहत हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों में बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. जाच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जावे। रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। कलेक्टर भीम सिंह ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त एसडीएम को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु कहा है।

कोविड प्रोटोकॉल और क्वारेन्टीन नियमों के पालन को लेकर उद्योगों की लगातार करें जांच-कलेक्टर भीम सिंह

» कलेक्टर सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। उद्योगों द्वारा कोविड गाईड लाईन तथा क्वारेंटीन नियमों का पालन की लगातार जांच करें। पिछले दिनों अधिक केसेस वाले गांव के सरपंचों से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप स्थित गांवों में मामले ज्यादा बढ़े है। इसको लेकर हमें पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी है। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक के दौरान कही। कलेक्टर सिंह ने उद्योग अधिकारी तथा सभी एसडीएम को उनके क्षेत्रान्तर्गत स्थित उद्योगों में अनुमति प्राप्त संख्या में ही लोग आ रहे हैं, तथा बाहर से आने वालों को क्वारेन्टीन किया जा रहा अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिए कहा। उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिये।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिये शादियों तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अनुमति प्राप्त संख्या में ही लोग शामिल हो। संबंधित गांव के पटवारी, सचिव, शिक्षकों की ड्यूटी इसकी निरीक्षण में लगायें। अनुमति से अधिक संख्या में शामिल होने वाले कार्यक्रम के आयोजकों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। गांवों में कोविड गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करवाएं। मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंटिंग तथा नियमित हाथ धोने जैसे नियमों का पालन करें। उन्होंने सभी एसडीएम, नगर निकाय के अधिकारी एवं पुलिस विभाग को लगातार मास्क जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये। बिना मास्क के निकलने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही करने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने बैठक के दौरान जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालय के कोविड अस्पतालों में बढ़ाई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने विकासखण्ड स्तरीय अस्पतालों में नान इनवेसीव वेंटीलेटर बाईपेप मशीन दिये जाने तथा उसके उपयोग के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास 250 फ्लोमीटर आ चुका है तथा 500 आने वाले है, इससे आने वाले समय में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में फ्लोमीटर की व्यवस्था है। कलेक्टर सिंह ने बैठक में टेस्टिंग की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में सभी जगहों पर उन्हें मिले टेस्टिंग लक्ष्यों को प्रतिदिन शत-प्रतिशत पूरा करना है। उन्होंने सभी बीएमओ से रिप्रेजेन्टेटिव सेम्पल लेने के लिये कहा। उन्होंने होम आईसोलेशन के बारे में जानकारी ली। होम आइसोलेटेड मरीजों के नियमित हेल्थ अपडेट लेने व ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम होने पर तत्काल अस्पताल शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सभी राजस्व अधिकारियों को दस-दस होम आईसोलेटेड मरीजों के घरों में जाकर निरीक्षण कर उनके द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं यह देखने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने सरिया नगर पंचायत के अंतर्गत शहरी गौठान में गोबर वर्मी पिट नहीं डालने के कारण वहां के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी शहरी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने सभी विकासखण्डों में 01 जून से 3-3 नये गोठानों में गोधन न्याय योजना का संचालन प्रारंभ करने के निर्देश सभी सीईओ जनपद को दिये। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुये कहा कि जिन गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कम है उनका चिन्हांकन कर वहां के नोडल तथा गौठान समिति की बैठक ले तथा वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करें। उन्होंने सभी सहकारी समितियों में वर्मी कम्पोस्ट रखवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही बीज का भंडारण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने खरीफ गिरदावरी शुरू होने के पूर्व सभी पटवारियों को अभिलेख दुरूस्ती का काम पूरा करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर सिंह ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के संचालन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के लेबर कार्ड निर्माण के बारे में भी श्रम अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

बालिका को घर में अकेली पाकर कर युवक करने लगा छेड़खानी, शोर मचाने पर घरवालों ने पकड़ा

बरमकेला। थाना बरमकेला में दिनांक 24 मई को थानाक्षेत्र में रहने वाली की बालिका अपने परिजनों के साथ आकर गांव के निरंजन यादव के विरुद्ध घर घुसकर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बालिका के रिपोर्ट पर आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 163/2021 धारा 354, 454 भादवि एवं 8 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना पतासाजी दरमियान आरोपी को निरंजन यादव उम्र 21 वर्ष निवासी थानाक्षेत्र बरमकेला को आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी द्वारा दिनांक घटना को बालिका को अकेली पाकर घर अंदर घुस कर छेड़खानी किया गया है। पीड़ित बालिका बताई की उस दिन घर के बड़े-बुजुर्ग दूसरे गांव गए हुए थे। निरंजन यादव सुबह करीब 08:00 बजे घर अंदर घुस कर हाथ, बांह पकड़कर छेड़खानी कर रहा था। शोर मचाई तो बड़ा भाई आया और आसपास के लोगों के साथ निरंजन को पकड़े। आरोपी को शीलभंग एवं पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के न्यायालय से 14 दिवस न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है।

घरेलू विवाद में सगे भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

घरघोड़ा। थाना घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम झांकादरहा में 35 वर्षीय युवक द्वारा अपने सगे छोटे भाई की डंडा व पत्थर से सिर पर गंभीर चोट पहुंचा कर हत्या करने की सूचना पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 24/05/2021 को ग्राम झांकादरहा में रहने वाली वृंदावती यादव उम्र 23 वर्ष द्वारा उसके पति संजय यादव उम्र 32 वर्ष की उसके जेठ जन्मजय यादव द्वारा दिनांक 23/05/2021 के शाम गांव में झगड़ा विवाद पर डंडा व पत्थर से मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट पर आरोपी जन्मजय यादव के विरुद्ध अप.क्र. 130/2021 धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह को दिनांक घटना की ग्राम झांकादरहा में हत्या की सूचना मिलने पर सहायक उपनिरीक्षक जन्मेजय वर्मा, आरक्षक संजीव टोप्पो के साथ घटनास्थल पहुंचे। जहां मर्ग, पंचनामा कार्यवाही कर घटनास्थल पर आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त डंडा व पत्थर से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये और आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी जन्मजय यादव से पूछताछ में अपने भाई की हत्या करना कबूल कर बताया कि उसका छोटा भाई संजय यादव ड्राइवरी का काम करता था, करीब 4 साल पहले वृंदावती यादव से शादी कर घरघोड़ा में पक्का मकान बनाकर रह रहा था। संजय शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी व मां से झगड़ा करता था और गांव आकर गांववाला घर को छोड़ने कहता था। दिनांक 23-05-2021 के शाम को भी गांव आकर घर से भाग जाओ कह रहा था तब दोनों में झगड़ा विवाद हुआ। झगड़ा विवाद में डंडा से संजय के सिर हाथ पैर को मारा और वहां पड़े पत्थर से उसके सिर में चोट पहुंचा कर उसकी हत्या करना कबूल किया है। आरोपी जन्मेजय यादव पिता स्व. भाकूलाल यादव उम्र 35 सालनिवासी ग्राम झांकादरहा थाना घरघोड़ा को आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

ऑनलाईन वेज थाली के आर्डर पर हुई 49 हजार 500 की ठगी, शिकायत दर्ज

रायगढ़। शिकायतकर्ता वैभव डिओडिया निवासी विकास नगर कोतरारोड़ थाना कोतवाली द्वारा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल सीपीग्राम्स में उसके साथ तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाईल पर खाने का आर्डर लेकर 49,500 रूपये की धोखाधड़ी की गई है, शिकायत पत्र की जांच पर थाना कोतवाली में दिनांक 24/05/2021 को अज्ञात मोबाईल धारकों के विरुद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

शिकायतकर्ता के आवेदन अनुसार इसके परिवारजन शोक कार्यक्रम में शामिल होने उत्तर प्रदेश गए हुए थे जहां उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए वैभव डिओडिया द्वारा रायगढ़ अपने घर पर नेट से उस जगह के रेस्टोरेंट को सर्च किया और सागरत्न नाम के लिंक पर जाकर उसमें दिये गये 03 मोबाइल नम्बरों पर बात किया। मोबाईल धारक उसे एक वेज थाली का 200 रुपए शुल्क बताया था। वैभव द्वारा अपने पेटीएम एप्स से खाने का ऑर्डर किया। जिसके बाद

उसके खाते से 200 रुपए कटे उसके 2 मिनट के बाद ही उसके खाते से 49,500 रुपए बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा और डेबिट होने का मैसेज आया उसने तुरंत उसी नम्बर पर कॉल किया जो अन्य दो नम्बरों से उसे बात कराये पर उसके रूपये वापस नहीं किये। तब वैभव डिओडिया द्वारा इसकी शिकायत ऑनलाइन सीपीग्राम्स पोर्टल पर किया गया, सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पुलिस कार्यालय रायगढ़ के शिकायत सेल को प्राप्त हुई जो थाना कोतवाली को जांच के लिए भेजा गया। थाना कोतवाली में तीन मोबाईल नम्बर के धारकों के विरुद्ध धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जूटमिल पुलिस की त्वरित कार्रवाई में वाहनों से डीजल चोरी करने वाले दो चोर पकड़े गए

» आरोपियों से चोरी की हुई 100 लीटर डीजल जब्त

रायगढ़। जूटमिल टीआई अमित शुक्ला के नेतृत्व में आज दिनांक 25.05.2021 को जूटमिल पुलिस द्वारा केलो नदी किनारे नगर निगम रायगढ़ के पाइप सीवर के काम में लगी गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले दो युवकों को 100 लीटर चोरी की डीजल के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों को चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार आज दिनाँक 25.5.2021 को ठेकेदार संजय पांडे ठेकेदार के द्वारा लिखित आवेदन लेकर चौकी प्रभारी से मिला और बताया कि केलो नदी के किनारे नगर निगम रायगढ़ पाईप सीवर का काम कराया जा रहा है जहाँ से गाड़ियों में उपयोग के लिए रखी डीजल को अज्ञात चोर चोरी कर ले जा रहा है। चौकी प्रभारी द्वारा चौकी को पेट्रोलिंग को अज्ञात आरोपियों का पता लगाने निर्देशित किए। महज 06 घंटो के भीतर ही डीजल चोर दो आरोपी अंकित निषाद पिता समारू निषाद उम्र 20 वर्ष एवं आरोपी शिवम राजपूत पवन सिंह दोनों निवासी जेलपारा जूटमिल के कब्जे से स्टाफ द्वारा चोरी गई 100 लीटर डीजल बरामद किया गया।

घटना के संबंध में प्रार्थी संजय पांडे के रिपोर्ट पर चौकी जूटमिल में अपराध क्रमांक 487/2021 धारा 379 आईपीसी का अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में टीआई अमित शुक्ला के हमराह प्रधान आरक्षक मो. दिलदार कुरैशी व आरक्षक बनारसी सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर शहीदों को अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि

» जिला कार्यालय में भी शहीदों को दी गयी श्रद्धांजलि

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि झीरम के सभी बेगुनाह शहीदों और घायलों को न्याय जरूर मिलेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार चैन से नहीं बैठेगी। झीरम के शहीदों को न्याय दिलवाने के लिये हम कृतसंकल्पित हैं और हम इसके लिये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चाहे इसमें कितनी ही बाधायें आएं, छत्तीसगढ़ सरकार झीरम घाटी मामले की तह तक जरूर जायेगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में 'झीरम श्रद्धांजलि दिवस' के अवसर पर झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा सहित अनेक नेतागण और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। बघेल ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री बघेल इस अवसर पर दंतेवाड़ा और जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में तथा शहीद महेन्द्र कर्मा के नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय और जगदलपुर के डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल के विधिवत नामकरण के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में विधायक मोहन मरकाम और बृहस्पति सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू उपस्थित थे।

जिला कार्यालय से विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, महापौर रायगढ़ नगर निगम श्रीमती जानकी काटजू, कलेक्टर भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होकर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

शहीद नंदकुमार पटेल की पुण्यतिथि पर मंत्री उमेश ने दी श्रद्धांजलि

उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने अपने पिता एवं पूर्व गृहमंत्री शहीद स्व.श्री नंदकुमार पटेल तथा बड़े भाई शहीद स्व.श्री दिनेश पटेल को उनकी आठवीं पुण्यतिथि पर नंदेली स्थित 'शांति बगिया' समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिजनों ने भी समाधि स्थल में श्रद्धासुमन अर्पित किये। इस दौरान विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल सहित जनप्रतिनिधियों व नागरिकों ने भी समाधि स्थल पहुंच कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480